## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 151/2024 — निर्णय दिनांक: 26.09.2024

ऑनलाईन जीसीएमएस नम्बर 2024/321

1. सम्पतसिंह पुत्र रामेश्वरसिंह 2. सुभाष पुत्र शंकरसिंह 3. प्रकाशसिंह पुत्र शंकरसिंह 4. विष्णु पुत्र शंकरसिंह जाति राजपुरोहित निवासीगण धीरदेसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थीगण—

**बनाम**

1.रामचन्द्र पुत्र कानसिंह 2. सुखदेव पुत्र कानसिंह 3. श्रीकिशन पुत्र कानसिंह 4. मोहनसिंह पुत्र कानूसिंह 5. भागीरथसिंह पुत्र हजारीसिंह 6. रूपसिंह पुत्र हजारीसिंह 7. गोपालसिंह पुत्र हजारीसिंह 8. महावीरसिंह पुत्र हजारीसिंह 9. रूखमा पुत्री हजारीसिंह 10. शांति पुत्री हजारीसिंह 11. चौथी पुत्री हजारीसिंह 12. छोटू पुत्री हजारीसिंह जाति राजपुरोहित निवासीगण धीरदेसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 13. ओमसिंह पुत्र भागीरथसिंह 14. कृष्णा पुत्र भागीरथसिंह 15. आईसी पुत्री भागीरथसिंह जातियान राजपुरोहित निवासीगण सवाई बड़ी तहसील सरदारशहर जिला चूरू 16. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़।

—अप्रार्थीगण—

**उपस्थितिः—**

1. श्री प्रकाश राजपुरोहित अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 15 की ओर से।
3. पैराकारराज स्टेट की ओर से।

**<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की तरफ से प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त अनुवानी दावा न्यायालय श्रीमान् के संमक्ष प्रस्तुत कर दिया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 53 तादादी 8.7300 हैक्टेयर रोही धीरदेसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पूर्वी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 ता 15 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 57 तादादी 3.7400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 56 तादादी 5.2200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 54 तादादी 3.7900 हैक्टेयर रोही धीरदेसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में स्थित है। उक्त तीनो खेत मौके पर एकल है व उक्त तीनो खेतो के खातेदार अप्रार्थीगण ही है। अप्रार्थीगण के उक्त खेतो में जाने का रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 57 के उतरी दिशा में है व अप्रार्थीगण अपने उक्त खेतो में इसी रास्ता से आवागमन करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 53 तादादी 8.7300 हैक्टेयर में से अप्रार्थीगण के खेतो में जाने का कोई रास्ता नही है, ना ही कभी कोई रास्ता रहा है। अप्रार्थीगण दिनांक 30.07.2024 को प्रार्थीगण के खेत के पूर्वी तरफ अपने खेत में आये व प्रार्थीगण को धमकी देते हुये कहा कि हम हमारे खेत खसरा नम्बर 54 में जाने का रास्ता तुम्हारे खेतो में से जबरदस्ती निकाल कर नया रास्ता कायम कर तुम्हारे खेत के टूकड़े कर देगे तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को कहा कि आपके खेत में जाने का रास्ता कभी भी कोई रास्ता मेरे खेत में से नही रहा है, आप मेरे खेत में से नया रास्ता कायम नही करे तो अप्रार्थीगण ने मानने से इन्कार कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:22:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

दिया। अप्रार्थीगण जबरदस्ती प्रार्थीगण के उक्त संयुक्त खातेदारी के खेत में से नया रास्ता कायम करने की फिराक में लगे हुये है व अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के खेत में से नया रास्ता कायम करने की धमकी भी दी है। इसलिये प्रार्थीगण के लिये अप्रार्थीगण के विरूद्ध तुरन्त अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। वादगत खेत प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी के होने से व प्रार्थीगण का उक्त खेत में संयुक्त रूप से कब्जा कास्त व उपयोग–उपभोग चले आने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण जबरदस्ती प्रार्थीगण के उक्त खेत में से नया रास्ता कायम करने की फिराक में लगे हुये है । अगर अप्रार्थीगण अपने गलत उदेश्यों में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्तिय क्षति होगी । इसलिये अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 53 तादादी 8.7300 हैक्टेयर रोही धीरदेसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में से किसी प्रकार कोई रास्ता कायम नही करे व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नही करें। वादगत खेत की सींव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करे व सींव को किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नही करे व ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य कारित करे जिससे प्रार्थीगण के वैध अधिकारो पर विपरित असर पडता हो ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 15 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया किप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 53 तादादी 8.7300 हैक्टेयर रोही धीरदेसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पूर्वी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 ता 15 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 57 तादादी 3.7400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 56 तादादी 5.2200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 54 तादादी 3.7900 हैक्टेयर रोही धीरदेसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में स्थित है। उक्त तीनो खेत मौके पर एकल है व उक्त तीनो खेतो के खातेदार अप्रार्थीगण ही है। अप्रार्थीगण के उक्त खेतो में जाने का रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 57 के उतरी दिशा में है व अप्रार्थीगण अपने उक्त खेतो में इसी रास्ता से आवागमन करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 53 तादादी 8.7300 हैक्टेयर में से अप्रार्थीगण के खेतो में जाने का कोई रास्ता नही है, ना ही कभी कोई रास्ता रहा है। अप्रार्थीगण जबरदस्ती प्रार्थीगण के उक्त संयुक्त खातेदारी के खेत में से नया रास्ता कायम करने की फिराक में लगे हुये है व अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के खेत में से नया रास्ता कायम करने की धमकी भी दी है। इसलिये प्रार्थीगण के लिये अप्रार्थीगण के विरूद्ध तुरन्त अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। वादगत खेत प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी के होने से व प्रार्थीगण का उक्त खेत में संयुक्त रूप से कब्जा कास्त व उपयोग–उपभोग चले आने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण जबरदस्ती प्रार्थीगण के उक्त खेत में से नया रास्ता कायम करने की फिराक में लगे हुये है । अगर अप्रार्थीगण अपने गलत उदेश्यों में

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:22:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्तिय क्षति होगी । इसलिये अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। एवं तादावा वाद मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का खंडन करतें हुए निवेदन किया गया कि खेत खसरा नम्बर 53 के पूर्वी तरफ खेत खसरा नम्बर 57 तादादी 3.7400 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 4 मोहनसिंह के हिस्सा पांति का खेत है तथा खसरा नम्बर 56 तादादी 5.2200 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 5 ता 15 के हिस्सा पांति का खेत है। खेत खसरा नम्बर 53 के दक्षिण में खेत खसरा नम्बर 54 तादादी 3.7900 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा पांति का खेत है। खसरा नम्बर 57, 56, 54 मौके पर एकल नहीं है । तीनो खेतो के बीच सींव बनी हुई है तथा अप्रार्थीगण जिनके हिस्सा में जो खेत आया हुआ है, उसको काश्त करते चले आ रहे है । अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा पांति के खेत खसरा नम्बर 54 में आवागमन का रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 53 में से होकर है । अप्रार्थी संख्या 1 रामचन्द्र के हिस्सा पांति के खेत खसरा नम्बर 54 में आवागमन का रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 53 में से होकर है, इसके अलावा अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा पांति के खेत नम्बर 54 में आवागमन का कोई रास्ता नही है। अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा पांति के खेत खसरा नम्बर 54 में आवागमन का रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 53 में से प्रार्थीगण के खेत में बनी ढ़ाणी के पूर्वी तरफ से होकर है, जो अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा पांति के खेत खसरा नम्बर 54 में आने–जाने का एकमात्र रास्ता है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 53 में से होकर अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा पांति के खेत खसरा नम्बर 54 में आवागमन का रास्ता सदामद का है, जिसे प्रार्थीगण हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से बन्द करना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा पांति के खेत खसरा नम्बर 54 में जाने का रास्ता प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 53 में से होकर जाता है, जो रास्ता सदामद से चला आ रहा है इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है व सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है । अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा–पांति के खेत में जाने वाले रास्ता को बन्द करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, अगर प्रार्थीगण इस मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थी संख्या 1 को होगी। खेत खसरा नम्बर 54 तादादी 3.7900 हैक्टेयर वाकेरोही धीरदेसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ पारिवारिक बंटवारा में अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा पांति में आया हुआ है। अप्रार्थीगण के बीच संयुक्त खातेदारी जमीनो का बहुत पहले ही बंटवारा हो गया, जिसके मुताबिक खेत खसरा नम्बर 56 तादादी 5.2200 हैक्टेयर रोही धीरदेसर पुरोहितान हजारीसिंह के वारिसान अप्रार्थी संख्या 5 ता 15 के हिस्सा पांति में आया हुआ है व खेत खसरा नम्बर 57 तादादी 3.7400 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 4 को हिस्सा पांति में आया [illegible] खेत खसरा नम्बर 56 में हजारीसिंह के वारिसान ने ट्यूबवैल बना रखा है, खेत में [illegible] है, ट्यूबवैल का कनेक्शन हाजारीसिंह के नाम से है। खसरा नम्बर 56, 57 [illegible] के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा नहीं है । अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को [illegible] खेत दे दिये गये, इस प्रकार अप्रार्थीगण के मध्य बंटवारा हो गया तथा सभी मौखिक [illegible]टवारा के अनुसार अपने–अपने हिस्सा के खेत को काश्त करते है। मौखिक बंटवारा अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 सुखदेव, श्रीकिशनसिंह को हिस्सा पांति में दिया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा पांति का खेत

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:22:06 IST
Reason: SelfAttested

सरा नम्बर 54 तादादी 3.7900 हैक्टेयर रोही धीरदेसर पुरोहितान है, जो प्रार्थीगण के खेत सरा नम्बर 53 के दक्षिण तरफ सींवा जोड़ है। खेत खसरा नम्बर 54 में आवागमन का स्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 53 में से होकर जाता है । प्रार्थीगण के खेत खसरा म्बर 53 में अप्रार्थी संख्या 54 के खेत के आवश्यकता का रास्ता प्रार्थीगण बन्द करना ाहते है । इसी बदनियति से प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण क्लीन ण्ड से नहीं आये है, इसी आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिले खारिज है। अप्रार्थी संख्या । के हिस्सा पांति के खेत खसरा नम्बर 54 में आवागमन का रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 53 में से है, इसके अलावा अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा पांति के खेत खसरा नम्बर 54 में आवागमन का रास्ता नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 54 में प्रार्थीगण के खेत में जो रास्ता है, वह रास्ता श्रीडूंगरगढ़ सरदारशहर रोड़ से फंटकर खसरा नम्बर 509/61, खसरा नम्बर 60 में से होकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 53 में जाता है। प्रार्थीगण इसी रास्ता से होकर अपनी ढ़ाणी तक आवागमन करते है। प्रार्थीगण की ढ़ाणी के पूर्वी तरफ से होकर आगे यह रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी हिस्सा पांति व कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 54 में जाता है। इसी रास्ता को रेकार्ड में अंकन करवाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ने धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत श्रीडूंगरगढ़ श्रीमान्जी के न्यायालय में कार्यवाही प्रस्तुत की गई है, जो रामचन्द्र बनाम तुलछीदेवी आदि के नाम से विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत की गई धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही में पैचिदगियां पैदा करने व बचाव का आधार लेने व रास्ता बन्दर करने की बदनियति से प्रार्थीगण ने हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण हस्तगत प्रार्थना पत्र कार्यवाही के माध्यम से अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा पांति, कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 54 में अपने खेत खसरा नम्बर 53 में से होकर जाने वाले रास्ता को बन्द कर अप्रार्थी संख्या 1 को उसके हिस्सा पांति, कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 54 में पहुंच से महरूम रखना चाहते है । अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 54 में आवागमन का एकमात्र रास्ता खेत खसरा नम्बर 53 में से होकर है। खेत खसरा नम्बर 56 जो अप्रार्थी संख्या 7 ता 15 के हिस्सा पांति का खेत है के पश्चिमी सींव की तरफ टीला है । उक्त टिले से होकर खेत खसरा नम्बर 54 में आवागमन का रास्ता होना सम्भव ही नहीं है, ना ही व्यवहारिक ही है। खेत खसरा नम्बर 56 की पश्चिमी सीमा जो खेत खसरा नम्बर 54 के लगती है, काफी ऊंची है, रेत का बहुत बड़ा टीला है, इतना बड़ा टीला है कि उसको समतल भी किया जाना व्यवहारिक नहीं है । खेत खसरा नम्बर 54 व 56 की सीमा पर टीला होने से खसरा नम्बर 54 का रास्ता खसरा नम्बर 56 में से होकर नहीं हो सकता, ना कभी रहा है। खसरा नम्बर 54 में आवागमन का रास्ता हमेशा ही खसरा नम्बर 53 में से होकर रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 का खेत [illegible] नम्बर 54 बारानी है, जिसमें वर्षाती खेती ही होती है। प्रार्थीगण का खेत सिंचित [illegible] प्रार्थीगण के खेत में ट्यूबवैल है, प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से खेत खसरा नम्बर 54 [illegible] प्रार्थीगण को देने के लिये कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण का अनुरोध [illegible] कर दिया तो प्रार्थीगण ने रास्ता बन्द करने की बदनियति से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत क[illegible] दिया। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:22:06 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजो का ोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 54 में प्रार्थीगण के खेत में रास्ता है, वह रास्ता श्रीडूंगरगढ़ सरदारशहर रोड़ से फंटकर खसरा नम्बर 509/61, रा नम्बर 60 में से होकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 53 में जाता है। प्रार्थीगण इसी ा से होकर अपनी ढ़ाणी तक आवागमन करते है। प्रार्थीगण की ढ़ाणी के पूर्वी तरफ से र आगे यह रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी हिस्सा पांति व कब्जा काश्त के खेत रा नम्बर 54 में जाता है। इसी रास्ता को रेकार्ड में अंकन करवाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र जो रामचन्द्र बनाम छीदेवी आदि के नाम से विचाराधीन है। जिसमें तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत ोर्ट में भी खसरा नंबन 53 में एक प्रचलित रास्ता जो खसरा नंबर 53 में बनी ढाणी तक ता है। प्रार्थी खसरा नंबर 54 में जाने के लिये इसी रास्ते से आगे रास्ता चाहता है एवं के पर चालू नहीं है की रिपोर्ट पेश की है। दिनांक 24.0.8.2024 को पुलिस ने अप्रार्थी की र से प्रस्तुत परिवाद पर पुलिस मौके पर गई है जिसने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी के त खसरा नंबर 53 में से अप्रार्थी रामचन्द्र के खेत खसरा नंबर 54 में आवगामन करना या है। और इस के अलावा खसरा नंबर 54 में आवगमन की कोई अन्य रास्ता के चिन्ह ही पाये गये है। खेत खसरा नम्बर 56 जो अप्रार्थी संख्या 7 ता 15 के हिस्सा पांति का ब्रेत है के पश्चिमी सींव की तरफ टीला है । जिसके संबंध में तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा ारा 251 क के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट में बडा टीला होना उल्लेखित किया गया है। उक्त टिले से होकर खेत खसरा नम्बर 54 में आवागमन का रास्ता होना सम्भव नहीं है। अप्रार्थी का बारानी खेत है जो सावणी फसल पर निर्धारित भूमि है जो बरसात पर ही निर्भर है एवं वर्तमान में फसल पकाव पर है। अप्रार्थी द्वारा वर्तमान समय में अपनी फसल का रख रखाव नहीं किया गया तो अप्रार्थी की फसल जलने एवं नुकसान होने की पूर्ण संभावना है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अर्पूणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बनना साबित नहीं होता है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 26.09.2024 को मेरे द्वार लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:22:06 IST
Reason: SelfAttested